उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-03/2017/2442जे/22-5-16-15(जेवी)/2016

लखनऊ : दिनांक- 03 जनवरी, 2017

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर-669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अधीन जिला कारागार, गोण्डा के लिए निम्नलिखित 03 व्यक्तियों को गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय:-

1- श्री विवेकमणि श्रीवास्तव पुत्र स्व0 बाल कृष्ण गोविन्द श्रीवास्तव, निवासी-मो0 पटेल नगर, जनपद-गोण्डा।

2- श्री आत्म प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 रामदेव सिंह, निवासी व पोस्ट-रघुराज नगर (टिकरी), जनपद-गोण्डा।

3- श्री विनोद कुमार मिश्रा पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्रा व पोस्ट-करनीपुर वजीरगंज, जनपद-गोण्डा।

एस0 के0 रघुवंशी
सचिव।

संख्या- 03/2017/2442जे(1)/22-5-16-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा ।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in